राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 22280 – 22471 दिनांक :– 16/11/2017

आयुक्त, नगर निगम समस्त
आयुक्त, नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :–निकायों को दिसम्बर 2017 तक खुले मे शौच से मुक्ति हेतु आवश्यक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

राज्य को दिसम्बर 2017 तक खुले में शौच से मुक्त हेतु आवश्यक शौचालयों का निर्माण त्वरित गति से Multi points पर कॉन्टेक्ट्रर के माध्यम से करवाया जाने से लक्ष्यो की प्राप्ति की जा सकती है। विभाग द्वारा प्रगति बढाने के उद्येश्य से प्रिकास्ट शौचालयों हेतु दर संविदा कर नगर निकायों को भेजी गई है। स्वीकृत दरों पर अनुबंध कर कार्यादेश दिया जाकर निकायों द्वारा शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है।/जा सकता है।

निकायो को त्वरित गति से शौचालयों के निर्माण हेतु प्रेरित करने एंव शौचालयों का निर्माण एजेन्सी के माध्यम से करवाये जाने हेतु निम्न कार्यवाही भी की जा सकती है।

1. नगर निकायों मे पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से 7 दिवस की अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकि स्पेसिफिकेशन के अनुसार शौचालयो का निर्माण करवाया जावें।
2. स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति बढाये जाने के उद्देश्य से विशेष परिस्थिति मे बिना निविदा आमंत्रित किये RTPP Rule 32 के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण भी करवाया जा सकता है।
3. विभाग द्वारा स्वीकृत दरों एवं समान तकनीकी मापदण्डो पर प्रिकास्ट शौचालयों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/निर्माताओं से सात दिवस की अल्प कालीन निविदा आमंत्रित करवाकर विभाग द्वारा स्वीकृत दरो की सीमा तक कार्यादेश दिये जाकर शौचालयों का निर्माण भी करवाया जा सकता है।
4. जिन लाभार्थियों द्वारा प्रथम किस्त लेकर शौचालयों का निर्माण नही किया जा रहा है, उनकों समझाइश कर बनवायें जाने तथा नही बनाये जाते है तो उनकों अलग से वसूली के प्रयास लगातार किये जावें एंव आवश्यक शौचालयों का निर्माण ULB स्तर पर करवायें

जावे अतिरिक्त राशि की व्यवस्था किसी दान दाता से / CSR के माध्यम से / ULB से कर शौचालयों का निर्माण करवाया जा सकता है।

उपरोक्त विकल्पों का उपयोग कर त्वरित गति से शौचालयों का निर्माण करवाया जाकर दिसम्बर 2017 से पूर्व निकायों को खुले मे शौच से मुक्त घोषित किया जाकर सूचनायें स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 22472 – 524 दिनांक :– 16/11/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
7. जिला कलेक्टर समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
11. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता